तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 2493 / 2006 / बून्दी लक्ष्मीकान्त बनाम कल्याणमल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य

उपस्थितः–
श्री रोहित सोनी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
श्री दूनीचंद, अधिवक्ता, अप्रार्थी।

––

निर्णय

दिनांकः– 28–01–2020

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत जिला कलक्टर बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–01–2006 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार केशोरायपाटन के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 20/2000 बउनवान कल्याणमल बनाम लक्ष्मीकान्त बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) एवं (सी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय ने निर्णय दिनांक 22–01–2003 पारित किया। उक्त आदेश इस आशय के साथ पारित किया गया कि धारा 183–बी काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय ने अप्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 179 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा नया 340 रकबा 0–57 हैक्टर में से अप्रार्थी क्षरा किये गये अवैध कब्जे की भूमि क्षेत्रफल 20 गुना 15 वर्गफीट भूमि वाके ग्राम केशोरायपाटन से बेदखल कर प्रार्थी को कब्जा प्रदान किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी के समक्ष अपील पेश करने पर न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 31–01–2006 पारित करते हुए आलोच्य अपील को सारहीन होने से खारिज कर दिया। उक्त आदेश में विवेचित किया कि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 2493 / 2006 / बून्दी लक्ष्मीकान्त बनाम कल्याणमल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट, जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य है, की खातेदारी भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है, जो अनुचित है। अपीलाधीन आदेश में बाबत बेदखली उचित होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। जिला कलक्टर बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–01–2006 से व्यथित होकर प्रार्थी ने हस्तगत निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की।

हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस निगरानी पर सुनी।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्त्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आक्षेपित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विरूद्ध होने से निरस्तनीय होना कहा है। उनका कथन है कि प्रश्नगत रकबा बिरधीचंद के खाते में थी जिसे अप्रार्थी ने क्रय किया जाना अंकित किया है किन्तु उक्त आराजी पर न तो लल्लू का कब्था है तथा न ही अप्रार्थी का कभी कब्जा रहा है। यहीं उक्त आराजी अप्रार्थी के धारण में रही हो, इसे प्रमाणित नहीं किया गया है। आगे बताया कि तहसीलदार ने भूमि का न तो सीमाज्ञान हीं किया है तथा न ही कोई जांच की है। यहीं नहीं अप्रार्थी का आराजी पर कब्जा प्रतीत नहीं होता है तथा न अप्रार्थी को वादकारण उत्पन्न हुआ है। उनका तर्क है कि विवादित भूखण्ड पर प्रार्थी का लगभग 12 वर्ष से कब्जा चला आ रहा है। यहीं नहीं प्रश्नगत रकबा सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि है। इस कारण अप्रार्थी अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए धारा 183–बी के तहत कार्यवाही की है। उक्त स्थिति में आक्षेपित आदेश त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। अंत में उन्होंने अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 31–01–2006 एवं तहसीलदार केशोरायपाटन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–01–2003 व अप्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 2493 / 2006 / बून्दी लक्ष्मीकान्त बनाम कल्याणमल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी को अपास्त किए जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश तर्कसंगत, न्यायसंगत एवं विधि सम्मत है, जिसमें हस्तक्षेप करने के ठोस आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये है। उनका कथन है कि प्रार्थी ने प्रश्नगत रकबे पर गत दो वर्षो से अतिक्रण कर कब्जा कर रखा है। आगे कहा कि अप्रार्थी अनुसूचित जाति का सदस्य है जबकि प्रार्थी अन्य सवर्ग का सदस्य है। उनका तर्क है कि अप्रार्थी आराजी रेकार्डेड खातेदार है इस कारण कब्जा मुखालफाना सिद्ध नहीं होता है। उनका यह भी तर्क है कि उपलब्ध दस्तावेज से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की भूमि पर नाजायज कब्जा किया है। यहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रार्थी को दिए गए नोटिस से उसके कब्जे की पुष्टि होती है। उक्त स्थिति में आक्षेपित आदेश विधि सम्मत है जिसमें निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अंत में उन्होंने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को निरस्त करने की प्रार्थना की है। हमनें दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया। हस्तगत मामले में प्रार्थी का मुख्यतः आक्षेप है कि प्रश्नगत रकबे पर उसका पिछले 30–35 वर्षो से कब्जाकाश्त चला आ रहा है। रेकार्ड के अनुसार यह परिलक्षित होता है कि लक्ष्मीकान्त ने अपने बयानों में प्रदर्शित किया कि उसका जन्म वर्ष 1960 में हुआ है तथा वर्ष 2000 में वह 40 वर्ष का हो गया। तर्क के लिए यदि निगराकार 30 वर्ष पूर्व का उसका कब्जा था तो क्या वह 10 वर्ष की आयु में ही ढाबे का संचालन कर रहा था? जबकि वर्ष 1980 तक तो वह स्कूल	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 2493 / 2006 / बून्दी लक्ष्मीकान्त बनाम कल्याणमल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

में पड़ने जाने का तथ्य उजागर हुआ है। इसके अतिरिक्त गवाह रामदेव ने बयानों में प्रदर्शित किया कि लक्ष्मीकान्त ने वादी की विवादित जगह पर कब्जा करके ढाबा बनाया है। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में कल्याणमल की कब्जे बाबत 2–3 वर्ष वाला तर्क विश्वसनीय प्रतीत होता है।

यह भी प्रदर्शित होता है कि अप्रार्थी की भूमि को निगराकार ने विक्रय की है तथा विधिक प्रावधानों के अनुसार ऐसा विक्रय धारा 42 के उल्लंघन की श्रेणी में आने के कारण ऐसे बेचान का विधि में कोई महत्व नहीं है। क्योंकि अप्रार्थी अनुसूचित जाति का सदस्य तथा निगराकार सामान्य सवर्ग से संबंधित है। निगराकार ने लम्बे कब्जे के आधार पर आराजी पर कब्जा मुखालफाने को उद्धरित किया है किन्तु सरकारी भूमि पर इसकी अवधि 30 वर्ष प्रावधित होने के कारण यह तर्क मान्य नहीं है। द्वितीय यह भी प्रकट होता है कि आराजी सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि होने के कारण निर्माण विभाग द्वारा भी निगराकार को नोटिस भी जारी किए गए है।

उक्त स्थिति के आलोक में तहसीलदार केशोरायपाटन ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी एवं (सी) काश्तकारी अधिनियम के तहत आदेश दिनांक 22–01–2003 पारित कर विवेचित किया कि प्रश्नगत रकबा आराजी खसरा संख्या 179 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा में से प्रार्थी द्वारा किए गए अवैध की भूमि के क्षेत्रफल से बेदखल कर अप्रार्थी को कब्जे दिलाने संबंधी दिए गए अभिमत में किसी विधि का उल्लंघन होना प्रकट नहीं होता है। अतः तहसीलदार केशोरायपाटन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–01–2003 विधि सम्मत पाया जाता है।

उक्त विधि सम्मत निर्णय के विरूद्ध निगराकार द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश करने पर न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित कर अपील को सारहीन होना प्रकट कर अस्वीकार करने में किसी विधि का उल्लंघन होना प्रतीत नहीं होता है। सारांशतः मामले में दोनों अधीनस्थ

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 2493 / 2006 / बून्दी लक्ष्मीकान्त बनाम कल्याणमल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालयों के विधि सम्मत समवर्ती निष्कर्ष है, जिनमें निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतएवं प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। स्थिति यह प्रकट होती है कि निगराकार ने मीमो में असंगत आधारों को अभिवचित कर पेश किए जाने के कारण उन्हें किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं है। उपरोक्त विवेचन के प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है तथा जिला कलक्टर बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–01–2006 एवं तहसीलदार केशोरायपाटन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–01–2003 को यथावत बहाल रखा जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(प्रवीण गुप्ता)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 2493 / 2006 / बून्दी लक्ष्मीकान्त बनाम कल्याणमल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए